

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ 19, गुरुवार, शाके 1947- जुलाई 10, 2025 <i>Asadha 19, Thursday, Saka 1947- July 10, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 30, 2025

संख्या प.4(2) कृषि/गुप-2/2022 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (गुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 18.07.1967 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, देवली की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, देवली द्वारा मण्डी क्षेत्र के नगरपालिका जहाजपुर में फल-सब्जी गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नगरपालिका जहाजपुर में फल-सब्जी गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:-

पूर्व में - बिसलपुर परियोजना के विस्थापितों एवं कृषि एवं पुनर्वास के परियोजनार्थ आरक्षित भूमि

पश्चिम में- आम रास्ता

उत्तर में - बिसलपुर परियोजना के विस्थापितों एवं कृषि एवं पुनर्वास के परियोजनार्थ आरक्षित भूमि

एवं दक्षिण में -बिसलपुर परियोजना के विस्थापितों एवं कृषि एवं पुनर्वास के परियोजनार्थ आरक्षित भूमि

फल-सब्जी गौण मण्डी यार्ड जहाजपुर की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकाने एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अशोक कुमार मीणा,

शासन उप सचिव।

7287

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।